सं.27-1/2022-हिन्दी-एमएनआरई
भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
*****

ब्लॉक सं.14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांकः 01 जून, 2022

## कार्यालय ज्ञापन

विषयः लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ आउटरिच एंड कम्यूनिकेशन) में विज्ञापन के लिए भेजे जाने वाले निविदा पत्र (टेंडर) अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में भेजें जाने के संबंध में।

प्रधान महानिदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय एवं लोक संपर्क और संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 09 मई, 2022 के अर्द्धशासकीय पत्र सं.-11016/02/2022-रा.भा. की प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि भविष्य में लोक संपर्क और संचार ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ आउटरिच एंड कम्यूनिकेशन) में विज्ञापन के लिए भेजे जाने वाले निविदा पत्र (टेंडर) अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में भेजें जाएं, ताकि समाचार पत्रों में द्विभाषी प्रकाशन हो सके और राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का भी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

**संलग्नः** उपरोक्तानुसार

01-06-2022
(नन्दन सिंह दुग्ताल)
उप निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

(i) मंत्रालय में सभी अनुभाग/प्रभाग
(ii) मंत्रालय के सभी प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय (इरेडा/सेकी/नाइस/नीवे/नीबे)
(iii) एनआईसी-कृपया वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना खंड में वर्तमान नोटिस और राजभाषा हिंदी खंड में अपलोड करें।

सत्येन्द्र प्रकाश, भा.सू.से.
प्रधान महानिदेशक
SATYENDRA PRAKASH, IIS
*Principal Director General*
दूरभाष/Tel. No. : 24369521
फैक्स/Telefax : 24369608

सत्यमेव जयते

#AzadiKaAmritMahotsav

भारत सरकार
Government of India
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय एवं लोक संपर्क और संचार ब्यूरो
DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY AND BUREAU OF OUTREACH AND COMMUNICATION
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
Ministry of Information and Broadcasting

अर्द्धशासकीय पत्र सं.- ई.-11016/02/2022- रा.भा. दिनांक: 09 मई, 2022

महोदय/महोदया,

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति के साथ विचार-विमर्श कार्यक्रम दिनांक 28/04/2022 को आयोजित किया गया था। जिसमें अन्य कार्यालयों के साथ लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की तरफ से मैं कार्यालय प्रमुख के रूप में शामिल हुआ था। विचार-विमर्श कार्यक्रम के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/निगमों के द्वारा निविदा पत्र (Tender Documents) विज्ञापन के लिए लोक संपर्क और संचार ब्यूरो में भेजा जाता है जो सामान्यत: अंग्रेजी भाषा में प्राप्त होता है तथा लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा इसे देश के विभिन्न समाचारपत्रों में अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसा करना राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का उल्लंघन माना जा सकता है। जिसे संसदीय राजभाषा समिति ने गंभीरता से लिया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन सभी विभागों/उपक्रमों/निगमों को निर्देश दें कि भविष्य में लोक संपर्क और संचार ब्यूरो में विज्ञापन के लिए भेजे जाने वाले निविदा पत्र (Tender Documents) अनिवार्य रूप से द्विभाषीय रूप में भेजें जिससे लोक संपर्क और संचार ब्यूरो द्वारा उपरोक्त धारा 3(3) का अनुपालन करते हुए सभी समाचारपत्रों में द्विभाषीय रूप में प्रकाशित किया जा सके।

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रकाश)
प्रधान महानिदेशक, बीओसी

संलग्न:-

राजभाषा अधिनियम, 1963 की एक प्रति।

सेवा में,

माननीय सचिव,
सभी मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार।

## राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित सभी दस्तावेज आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी अथवा हिंदी में जारी होने चाहिए–

- सामान्य आदेश / General Orders
- संकल्प / Resolution
- परिपत्र / Circulars
- नियम / Rules
- प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन / Administrative & other Reports
- प्रेस विज्ञप्तियां / Press Release
- संविदाएं / Contracts
- करार / Agreements
- अनुज्ञप्तियां / Licences
- निविदा प्ररूप / Tender Form
- अनुज्ञा–पत्र / Permits
- निविदा सूचनाएं / Tender Notices
- अधिसूचनाएं / Notificatons
- संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज–पत्र / Reports & documents to be laid before the Parliament

उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।

*******